//

कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़

ब्लॉक–1, चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
☏ 0771–2235226 🖷 2511988 ✉ controllerraipur@gmail.com

क्रमांक / 06 / विधि / Notification/2019 / 5103 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 4/12/2020

प्रति

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सह अभिहित अधिकारी
   जिला ....(छ.ग.)
2. राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी
   स्थानीय कार्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर
3. (समस्त) सहायक औषधि नियंत्रक सह औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी / अभिहित अधिकारी
   कार्यालय उप संचालक,
   खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला ....(छ.ग.)
4. (समस्त) खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय उप संचालक,
   खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला ....(छ.ग.)

विषयः– **छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अनुक्रम मे विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 03.10.2020 मे वर्णित समय–सीमा का पालन करने बाबत्।**

–0–

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2011 के तहत विभाग द्वारा पूर्व मे जारी अधिसूचना क्र. एफ 27–2 / 2011 / नौ / 17 दिनांक 31.12.2011 को प्रतिस्थापित कर, अधिसूचना क्र. एफ 13–26 / 2019 / नौ / 17–दो दिनांक 03.10.2020 जारी की गई हैं, जो वेबसाइट www.egazette.cg.nic.in मे उपलब्ध हैं। अधिसूचना की प्रति संलग्न हैं।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम, 1945 / मेडिकल डिवाईस नियम, 2017 के तहत औषधि / प्रसाधन सामग्री / मेडिकल डिवाईस के निर्माण / संग्रह / विक्रय के अनुज्ञप्ति या नवीनीकरण के आवेदन तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 के तहत खाद्य पदार्थो के निर्माण / विक्रय / संग्रहण के अनुज्ञप्ति / पंजीयन / नवीनीकरण के आवेदन प्राप्त होने पर, अधिसूचना के कॉलम 5 मे वर्णित पदाभिहित अधिकारी द्वारा समय–सीमा मे कार्यवाही नही किये जाने पर, संबंधित आवेदक, अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते है, जिससे बचाव हेतु पदाभिहित अधिकारी को अधिसूचना मे वर्णित समय–सीमा के भीतर कार्यवाही पूर्ण किया जाना होगा तथा आम नागरिक / आवेदको को अधिसूचना के प्रावधान की जानकारी हेतु कार्यालय के सूचना पटल / बोर्ड मे भी नवीन अधिसूचना अनुसार सुधार कराया जाएं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2011 के तहत विभाग की अधिसूचना दिनांक 03.10.2020 मे वर्णित समयावधि का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएं।

संलग्न– छत्तीसगढ़ राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना
दिनांक 03.10.2020 की प्रति ।

4/12/20

नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
छत्तीसगढ़

पृ. कमांक / 06 / विधि / Notification/01/2019 /   नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक ....

प्रतिलिपि

अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर, विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 13–26 / 2019 / नौ / 17–दो दिनांक 03.10.2020 के संबंध मे सूचनार्थ प्रेषित।

नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
छत्तीसगढ़

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 495] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2020 — आश्विन 21, शक 1942

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13–26/2019/17–दो.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5, एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रं./27–2/2011/नौ/17, रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में:–

शीर्षक "नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन" की सारणी के सरल क्रमांक 1 से 3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

सं. क्र.	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय–सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा औषधियों के निर्माण एवं संग्रहण के लिये औषधि अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों को जारी करना	60 दिवस	औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
2	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा औषधियों के निर्माण एवं संग्रहण के लिये औषधि अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण / प्रतिधारण	30 दिवस	औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा युक्ति निर्माण के लिये औषधि अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों को जारी करना	90 दिवस	राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा युक्ति निर्माण के लिये औषधि अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण/प्रतिधारण	30 दिवस	राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
5	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	अभिहित अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्माण/विक्रय/संग्रहण हेतु खाद्य अनुज्ञप्ति जारी किया जाना	60 दिवस	अभिहित अधिकारी	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़
6	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	अभिहित अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्माण/विक्रय/संग्रहण हेतु खाद्य अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण	30 दिवस	अभिहित अधिकारी	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़
7	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्माण/विक्रय/संग्रहण हेतु खाद्य अनुज्ञप्तियों का पंजीयन करना	30 दिवस	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	अभिहित अधिकारी	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़
8	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्माण/विक्रय/संग्रहण हेतु खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीयन का नवीनीकरण करना	30 दिवस	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	अभिहित अधिकारी	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 3 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 13-26/2019/17-दो.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 अक्टूबर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 3rd October 2020

NOTIFICATION

No. F 13-26/2019/17-Two.— In exercise of the powers conferred by section 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification No./F-27-2/2011/IX/17, Raipur, Dated 31st December, 2011, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of said notification, -

In the Table of Heading "Controller, Food and Drugs Administration" for serial number 1 to 3 and entries relating thereto, the following shall be substituted ; namely :-